न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 46/2015 **दायर दिनांकः 07.05.2015**

उनवान

1. पप्पू उर्फ महेश आयु 30 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति माली निवासी काचरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. जसोदा बाई आयु 40 वर्ष पुत्री जगन्नाथ पत्नि रामप्रसाद जाति माली निवासी छजावा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. धापूबाई आयु 65 वर्ष बेवा जगन्नाथ जाति माली निवासी काचरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. धनराज आयु 45 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति माली काचरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. मन्जू आयु 36 वर्ष पुत्री जगन्नाथ पत्नि प्रेम जाति माली निवासी सरसोदिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।
4. तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर टी एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह।

प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

निर्णय

दिनांक 12.03.2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91, 188 आर टी एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि वादीगण के पिता जगन्नाथ जाति माली निवासी काचरी के खाते की आराजी ग्राम व माल काचरी तहसील अटरू जिला बारां के खाता संख्या 28 की ख0नं0 43 का रकबा 1.55 है0 भूमि हिस्सा 1/3 व खाता संख्या 27 की ख0नं0 82 का रकबा 0.45 है0 माल प्रथम, ख0नं0 84 का रकबा 0.64 है0 चाही प्रथम ख0नं0 85 का रकबा 0.05

है0 गै0 मु0 चाह, प्रथम, ख0नं0 86 का रकबा 0.40 है0 चाही प्रथम ख0नं0 87 का रकबा 0.50 है0 चाही प्रथम ख0नं0 88/368 का रकबा 0.07 है0 ख0नं0 144 का रकबा 0.37 है0 ख0नं0 237/298 का रकबा 0.03 है0 ख0नं0 319 का रकबा 0.79 है0, ख0नं0 320 का रकबा 0.85 है0, ख0नं0 323/390 का रकबा 0.20 है0 कुल किता 15 का कुल रकबा 6.50 है0 में हिस्सा 1/3 वादीगण के पिता के शामलाती खाता दर्ज चली आ रही थी। जिसकी जमाबन्दी वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वादीगण के पिता की मृत्यु 20.04.2015 को हो गई तथा पिता की मृत्यु के बाद वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 व 3 उनके वारिस है। वादी क्रम 1 खानपुर निवास करता है और वादी क्रम 2 भी अपने पति के साथ ग्राम छजावा में निवास करती है। प्रतिवादी क्रम 3 भी अपने ससूराल सरसोदिया में रहती है। प्रतिवादी म 1 व 2 पिता के साथ ही ग्राम काचरी में निवास करते थे। प्रतिवादी क्रम 2 गूंगा व बहरा है एवं मानसिक रोग से पिडित है इस प्रकार पिता के साथ केवल प्रतिवादी क्रम 1 ही मात्र पिता का सहारा थी। वादीगण के पिता 6 माह से लकबा बीमारी से पिडित थे और चलने फिरने एवं समझने की स्थिति में नही थे। मात्र जिन्दा लाश के रूप में जीवित थे जिसकी देख भाल प्रतिवादी क्रम 1 करती चली आ रही थी एवं पिता के हिस्से की आराजी को वादीगण ही काश्त करते चले आ रहे है वर्तमान मे भी वादीगण के ही कब्जे काश्त में है। प्रतिवादी क्रम 3 ने वादी के पिता की ग्राम व माल काचरी की खाता संख्या 27 व 28 की वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजी हिस्सा 1/3 को प्रतिवादी क्रम 1 ने वादीगण के पिता जगन्नाथ से जाल साजी कर अपने पक्ष मे दिनांक 08.03.2015 को उनके हिस्से 1/3 का दान पत्र लिखवा कर उसका पंजीयन अटरू पंजीयन कार्यालय मे करवा लिया है। जिसका वादीगण को कोई पता नही था। प्रतिवादी क्रम 1 वादीगण के पिता की बीमारी फायदा उठाकर उनको गुमराह कर उसकी मृत्यु के पूर्व ही दिनांक 01.04.2015 को इन्तकाल संख्या 312 प्रतिवादी क्रम 1 ने अपने पक्ष में खुलवा लिया और जगन्नाथ के स्थान पर अपना नाम खाता दर्ज करवा लिया। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी के खाता में प्रतिवादी क्रम 1 का नाम खाता दर्ज होने से प्रतिवादिया इस आराजी को बैचान करना चाहती है। और प्रतिवादिया क्रम 1 ने वादीगण को धमकी दी है कि उसके खाते की आराजी को वह बैचान करके रहेगी। उसको कोई रोक नही सकता वादीगण ने दिनांक 02.05.2015 को वादीगण के पिता के द्वादशा के बाद ही कहा कि यह क्यों किया तो प्रतिवादी क्रम 1 नाराज हो गई और गांव छोडकर

गोल्याखेडी गांव तहसील खानपुर चली गई वहा साथ में प्रतिवादी क्रम 2 को भी ले गई और कहा कि में यहा से ही जमीन का बैचान कर दूंगी। इस प्रकार प्रतिवादी क्रम 1 बार बार इस आराजी को बैचान करने की धमकी दे रही है यादि प्रतिवादी क्रम 1 ने वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का बैचान कर दिया तो वादीगण भूखो मरने की स्थिति में आ जावेगे। दान पत्र मे गवाह क्रम 2 भी इस बात की गवाही करता है कि दान पत्र धोखा देकर कराया गया है उसको भी नही बताया गया कि वह लोग क्या कार्यवाही कर रहे है। गवाह सत्यनारायण पुत्र रामचरण जाति धाकड़ निवासी काचरी को जोब कार्ड बनवाने के बहाने पंजीयन कार्यालय लाया गया था। जब उसको इस दान पत्र का मालूम हुआ तो वह भी आश्चर्यचकित हो गया कि उसने कभी दान पत्र पर गवाही नही की । और दान पत्र उसका फोटो एवं हस्ताक्षर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का वादीगण के पिता द्वारा दिनांक 18.03.2015 को प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष मे कराया दान पत्र व दिनांक 01.04.2015 को खोला गया इन्तकाल नम्बर 312 अवैध एवं धोका देकर कराया गया है इस कारण नल एण्ड वोईड घोषित कर वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजी के खाते में वादीगण के पिता जगन्नाथ के हिस्सा 1/3 के स्थान पर प्रतिवादी क्रम 1 के नाम हो हटाकर उसके स्थान पर वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 का नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है इस प्रकार वादीगण का हिस्सा वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजी में 1/3 का 2/5 व प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 का 3/5 बनता है। जिसको खाता दर्ज किया जाना आवश्यक है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 को उसके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। अगर प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वाद पत्र के मद नं0 1 मे वर्णित आराजीयात को बैचान, रहन, खुर्द, बुर्द हस्तान्तरण कर दिया तो वादीगण अपने पिता की पैत्रिक सम्पत्ति में प्राप्त चले आ रहे हक अधिकारो से वंचित हो जावेगे। वादीगण को उनके स्वामित्व एवं कब्जे काश्त मे चली आ रही आराजी से वंचित करने देने पर वादीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद मे अन्य प्रकार से होना सम्भव नही है तथा वादीगण अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा। इस तरह से वादीगण वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक वादीगण को वाद पत्र के मद नं0 1 वर्णित आराजीया तमे से 1/3 का 2/3 पर वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 1, 3 के 3/5 हिस्से पर खातेदार कृषक घोषित किये जावें। तथा प्रतिवादी क्रम 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें की वह वाद

पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी को रहन, बैचान व खुर्द बुर्द, हस्तन्तरण नही करें। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 03.05.2012 को आराजी को बैचान करने की वादीगण को धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षैत्र मे उत्पन्न हुआ है। विवाद ग्रस्त आराजीयात वाके ग्राम एवं माल काचरा तहसील अटरू में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। राजस्थान सरकार भूमिधारी है तथा उक्त वाद खातेदारी घोषणा का होने की वजह से उक्त वाद में प्रतिवादी क्रम 4 तहसीलदार अटरू को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 पारित जावें किः—

(अ) वादीगण को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात हिस्सा 1/3 में से 2/3 वादी एवं 3/5 प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 में खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वह वादीगण को दिलायी जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की की गई, प्रतिवादी क्रम 1 ल 3 की ओर से जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र पेश किया जिसमें कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 जिस तरह से दर्ज किया स्वीकार नही है क्योंकि वर्तमान में 1/3 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी क्रम 1 है। वाद पत्र की मद नं0 2 पूरी ही मनघढन्त एवं झूठे तथ्यो पर आधारित होने की वजह से स्वीकार नही है। वाद पत्र की मद नं0 3 पूरी गलत तथ्यों पर दर्ज होने की वजह से स्वीकार नही है क्योंकि खातेदार जगन्नाथ द्वारा अपने हिस्से की आराजी अपनी पत्नि धापूबाई को रूबरू गवाहन दानपत्र निष्पादित कर दान की गई है। जिसकी जानकारी पूरे गांव को है तथा दान की गई आराजी 1/3 हिस्सा नामान्तकरएण संख्या 312 दिनांक 01.04.2015 से प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज हो चुकी है। वाद पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है। क्योंकि उक्त मद में वर्णित तथ्यो से सम्बन्धित वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य कोई घटना घटित नही हुई है। वाद पत्र की मद नं0 5 स्वीकार नही है। वाद पत्र की मद

नं0 6 पूरी ही मनघढन्त एवं झूठे तथ्यों पर होने की वजह से स्वीकार नही है। वाद पत्र की मद नं0 7 स्वीकार नही है। अपितु कथन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में माननीय न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त नही कर सकते है। क्योंकि रजिस्टर्ड दान पत्र द्वारा प्रतिवादिया क्रम 1 को आराजी प्राप्त हुई है। जिस पर प्रतिवादिया क्रम 1 को खातेदारी प्राप्त हो चुकी है। और रजिस्टर्ड दान पत्र को (नल एण्ड वोईड) प्रभाव शून्य घोषित किये जाने का क्षैत्राधिकार माननीय रेवेन्यू न्यायालय को प्राप्त नही है। रजिस्टर्ड दान पत्र को प्रभाव शून्य घोषित किये जाने का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इस वजह से माननीय न्यायालय में जेरकार वाद विधि द्वारा वर्जित होने की वजह से वादीगण का वाद चलने योग्य नही होने से वाद खारिज होने योग्य है। वाद पत्र की मद नं0 8 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 9 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 10 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 11 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 12 कानूनी है। अनुतोष वादीगण अस्वीकार है।

—::विशेष आपत्तियां जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र::—

वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी मे से खातेदार जगन्नाथ जो प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 के पति व पिता है ने जर्ये रजिस्टर्ड दानपत्र से उसके 1/3 हिस्से की आराजी को अपनी पत्नि धापूबाई प्रतिवादी क्रम 1 केा दे दी गई है। रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 18.03.2015 काबिल गौर है और इस दान पत्र के माध्यम से जगन्नाथ का 1/3 हिस्सा नामान्तकरण संख्या 312 दिनांक 01.04.2015 से प्रतिवादी क्रम 1 के नाम जगन्नाथ का था वह वर्तमान में प्रतिवादी क्रम 1 के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चला आ रहा है। जिस पर न्यायिक दृष्टि से वादीगण का अब कोई हक अधिकार नही बनते है। खातेदार जगन्नाथ द्वारा उसकी पत्नि धापूबाई के पक्ष मे रजिस्टर्ड दान पत्र करवाया गया है उसे नल एण्ड वोईड घोषित सिविल न्यायालय ही कर सकता है। रेवेन्यू न्यायालय को रजिस्टर्ड दान पत्र को नल एण्ड वोईड घोषित किये जाने के अधिकार प्राप्त नही होने की वजह से माननीय न्यायालय को उक्त उनवान का वाद पत्र को सुनने का क्षैत्राधिकार नही होने से वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से 1/3 हिस्से की आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। प्रतिवादी क्रम 1 वादीगण को जर्ये आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारी है। जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप एवं प्रवितादी क्रम 1 के कब्जे काश्त में

किसी प्रकार की दखलान्दाजी नही करें और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें। प्रतिवादी कारण वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध झूठे तथ्यों पर वाद पेश करने पर माननीय नयायालय के सीमाक्षैत्र मे उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आरजी मे से 1/3 हिस्से की आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। वादीगण को जर्यें आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जावे कि वे प्रतिवादी क्रम 1 कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप एवं किसी प्रकार की दखलान्दाजी नही करें तथा प्रतिवादी क्रम 1 को शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त करने देवें। प्रतिवादी क्रम 4 द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण बंद किया, वादीगण द्वारा ज0उ0ज0 पेश नही करने के कारण बंद किया गया।

दावे व जवाब दावे के आधार पर निम्न लिखित तनकीयात कायम की गईः—

तनकी सं0 — 01. आया वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से वादीगण अपना हिस्सा 1/3 मे से 2/5 एवं प्रतिवादी 3/5 हिस्से के खातेदार कृषक घोषित होने योग्य है।

(भा.सं0 वादीगण)

तनकी सं0 — 02. आया प्रतिवादीगण वादीगण को जर्ये स्थाई आदेशात्मक निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि वह प्रतिवादीगण के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो स्वयं करें न ही अपने प्रतिनिधियों से करवाने की अधिकारी है।

(भा.सं0 प्रतिवादीगण)

तनकी सं0 — 03 आया वाद दान पत्र से सम्बन्धित होने के कारण दीवानी प्रकृति का होने से माननीय न्यायालय में चलने योग्य नही होने से वाद खारिज होने योग्य है।

(भा.सं0 प्रतिवादीगण)

तनकी सं0 — 05 अनुतोष।

साक्ष्यवादी के तहत् PW1 व 2 के शपथ पेश किये तथा रिकार्ड प्रदर्शित किया गया तथा साक्ष्यवादी DW_1 से DW_2 का शपथ पत्र पेश किया जो शा0 फा0 किये गये।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में 1/3 मे से 2/3 वादी एवं 3/5 प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 को खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा लिखित बहस पेश कथन किया गया कि वर्तमान में 1/3 हिस्से की खातेदार प्रतिवादी क्रम 1 है। क्योंकि जगन्नाथ द्वारा अपने हिस्से की आराजी अपनी पत्नि धापू बाई को रजिस्टर्ड दान पत्र निष्पादित कर दान की गई है। जिसका नामा0 संख्या 312 दिनांक 01.04.2015 से प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज हो चुकी है। दान पत्र को नल एण्ड वोईड प्रभाव शून्य घोषित किये जान का क्षैत्राधिकार माननीय रेवेन्यू न्यायालय को प्राप्त नही है। रजिस्टर्ड वसीयत दान पत्र को प्रभाव शून्य घोषित किये जाने का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता हैः—

तनकी सं0 — 01. आया वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से वादीगण अपना हिस्सा 1/3 मे से 2/5 एवं प्रतिवादी 3/5 हिस्से के खातेदार कृषक घोषित होने योग्य है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था वाद पत्र में वर्णित आराजी में से वादीगण अपना हिस्सा 1/3 में से 2/5 एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 का 3/5 हिस्से के खातेदार घोषित किया जावें। इस सम्बन्ध मे विवादित आराजी ग्राम काचरी की खाता संख्या 28 ख0नं0 43 रकबा 1.55 है0 मे जगन्नाथ पुत्र माघो हिस्सा 1/3 व खाता सं0 27 किता 15 रकबा 6.05 है0 में जगन्नाथ पुत्र माघो का हिस्सा 2/3 हिस्सा नामा0 संख्या 312 दिनांक 01.04.2015 से उक्त दौनो आराजी हिस्सा रजिस्टर्ड दानपत्र अपनी पत्नी धापू बाई के पक्ष में कर दिया गया जो वर्तमान में प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज है। दान पत्र को नल एण्ड वोईड घोषित करवाने का क्षैत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय को है। अतः तनकी नं0 1 विरूद्ध वादीगण प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 — 02. आया प्रतिवादीगण वादीगण को जर्ये स्थाई आदेशात्मक निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि वह प्रतिवादीगण के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो स्वयं करें न ही अपने प्रतिनिधियों से करवाने की अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का

भार प्रतिवादीगण पर था विवादित आराजी वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजी खाता संख्या 28 किता 1 ख0नं0 43 रकबा 1.55 में हिस्सा 1/3 व खाता संख्या 27 किता 15 रकबा 6.05 है0 2/3 हिस्से का नामा0 संख्या 312 दिनांक 01.04.2015 से रजिस्टर्ड दान पत्र प्रतिवादिया क्रम 1 के खाते दर्ज है। प्रतिवादिया उक्त आराजी पर शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त है। वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने के अधिकारी है। तनकी नं0 2 प्रतिवादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 – 03 आया वाद दान पत्र से सम्बन्धित होने के कारण दीवानी प्रकृति का होने से माननीय न्यायालय में चलने योग्य नही होने से वाद खारिज होने योग्य है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था दान पत्र से सम्बंधित होने से इस न्यायालय मे प्रकरण चलने योग्य नही होने से प्रकरण खारिज योग्य है। तनकी नं0 3 विरूद्ध वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नही है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी का प्रतिवाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। वादीगण को अस्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जाता है, कि प्रतिवादी क्रम 1 के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी न करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
प्रकरण सं0 46/2015

उनवान

1. पप्पू उर्फ महेश आयु 30 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति माली निवासी काचरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. जसोदा बाई आयु 40 वर्ष पुत्री जगन्नाथ पत्नि रामप्रसाद जाति माली निवासी छजावा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. धापूबाई आयु 65 वर्ष बेवा जगन्नाथ जाति माली निवासी काचरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. धनराज आयु 45 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति माली काचरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. मन्जू आयु 36 वर्ष पुत्री जगन्नाथ पत्नि प्रेम जाति माली निवासी सरसोदिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।
4. तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर टी एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह।
प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।
मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी का प्रतिवाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। वादीगण को अस्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जाता है, कि प्रतिवादी क्रम 1 के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी न करें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....
.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 12.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.03.31 14:41:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: